BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

In Re: News item titled"Bermo ke Mahuatand mei avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshan" appearing in News Wing dated 19.12.2023.

..........Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. .... Respondent(s)

INDEX

S. N.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit on Behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.	01-05
2.	Annexure-S/1 True copy of Show cause notices issued against 29 accused vide letter Nos. 2047-2059 dated 23/07/2025 & letter nos. 2321-2336 dated 14/08/2024	06-63

Filed by: -

Kumar Anurag Singh
Advocate
JSPCB, Ranchi

THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

News Item titled "Bermo ke Mahuatand ...dh balu ke khel mai saikaro tractor se ... rahe pareshan" appearing in

... Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

Supplementary Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 28.05.2025

I, Manoj Kumar Gupta, son of Late Narayan Lal Gupta presently posted as Officer on Special Duty (OSD), legal section, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows: -

1. That, at present, I am working and posted as OSD (legal section), Jharkhand State Pollution Control

Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That, I have gone through the order dated 28/05/2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.

3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.

4. That it is humbly stated and submitted that the Hon'ble Tribunal vide Order dated was pleased to direct the Jharkhand State Pollution Control Board to compute environmental compensation and further vide order 28/05/2025 was pleased to direct the answering respondent to bring on record the action taken for its recovery by way of affidavit.

5. That, it is humbly stated and submitted that vide earlier Affidavit dated 23/05/2025 the Environmental Compensation calculated against the accused named in the FIR as mentioned in the report of the Officer-in-charge, Mahuatand P.S was brought on board before

this Hon'ble Tribunal wherein it was submitted that environmental compensation was calculated in accordance with the methodology (*Approach-2*) adopted in paragraph 12 of the Order dated 26/02/2021 passed in **O.A No.360 of 2015** with other O.As by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi. The calculation is being reproduced below in brief as follows:-

Environment Compensation Calculation: *(Approach 2)*

NPV = PV – D

where **PV** = Present value of foregone Ecological Values

(@ 5% discount rate and over 5 years)

D = Market value of illegally mined material

(Considering market value of illegal mined sand **D**=Rs.4000/per Tractor)

Annual value of forgone ecological values per Tractor= D*RF

where **RF** is the Risk Factor (**RF=1** in case of severe Risk Level)

D*RF = Rs. 4000.00 x 1= Rs. 4000

$$PV = \sum_{t=1}^{5} (4000)/(1+0.05)^t$$

$$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000/(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$$

= Rs. 17320.00 per tractor (=100cuft per Tractor)

Total compensation:

NPV = PV – D = 17320 – 4000 = **Rs.13320** per tractor (Tractor capacity 100cuft)

6. That it is humbly stated and submitted that accordingly the environmental compensation (EC) as calculated against twenty-nine (29) accused persons

MITHILESH NARAYAN NOTARY RANCHI Reg. No. 22.89 14/8/25

named in FIRs amounts to a total of Rs.3,99,600/- (Rupees Three Lakhs Ninety-nine Thousand Six hundred) only.

7. That it is humbly stated and submitted that 29 (twenty nine) named accused persons as per details in FIRs lodged against them in P.S cases, have been issued show cause Notices individually vide letter nos. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059 dated 23/07/2025 and further vide letter no. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335 and 2336 dated 14/08/2025 to appear before the competent authority and present their reply as to why not the environmental compensation levied against them should not be recovered.

Photocopy of the show cause notices against accused for recovery of environmental compensation are annexed & marked Annexure-**A (series)**

8. That it is humbly stated and submitted that necessary action for imposition/recovery of environmental compensation against the accused

MITHILESH KUMAR NOTARY RANCHI Reg No. 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

persons named aforesaid is under process in accordance with law.

9. That, the instant Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

10. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

Manoj Kumar Gupta
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of ……… August, 2025 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Manoj Kumar Gupta
DEPONENT

Ref.No. 55 Date.........

MITHILESH NARAYAN SINHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.
A/AB 22.89
Ranchi (Jharkhand) India

Authorised under Notaries Act 1952 & Notary Rules 1956 by Govt. of Jharkhand, Ranchi

NOTARY PUBLIC
RANCHI

11/8/2025

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री फुलचन्द केवट,
पिता– स्व० भांगा केवट
ग्राम+पोस्ट+थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियन, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

O/C

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अम्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH09AS-6948 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2047 राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री दशरथ ठाकुर,
पिता– महावीर ठाकुर
सा०– जगेशर, पोस्ट– तिरला, थाना–जगेशर,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH09J-6566 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरुप गणना करने पर अरपके विरुद्ध रुपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह0/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2048 राँची, दिनांक 23/07/2025
प्रतिलिपिः— उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850/138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,
राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,
श्री राज किशोर महतो,
पिता– श्री कमल नाथ महतो
ग्राम – छोटकीपुन्नु, पोस्ट– बड़कीपुन्नु,
थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

O/C

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AD-2873 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरुपेण है:–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2049 .... राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः— उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651— 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchiijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री संजीत कुमार,
पिता— फालगुनी साव
ग्राम+पोस्ट— बड़कीपुन्नु, थाना— महुँआटॉड़,
जिला— बोकारो

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक — 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक — 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक — 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक — 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटॉड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक —239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटॉड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AW-5099 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या — OA No.-360/2015 के आदेश संख्या—26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण है:—

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11:00 बजे पूर्वाहन में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2050 रॉंची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.....................   दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री संजय कुमार साहू,
पिता– स्व० भुनेश्वर साहू
ग्राम+पोस्ट– बड़कीपुन्नु, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

o/c

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या Eng. No.- CJ1354/KF006704, CH No.- MBNAJ48AFKTH15829 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2051   राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री हुलास महतो,
पिता– अकलु महतो
ग्राम – सरियाडीह, पोस्ट– बड़कीपुन्नु, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषग नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02. 2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या Eng. No.- 331008/SAN08603, CH No.- MBNAG48ACKTP66779 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2052 राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB

Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,
राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,
मो० मुरली साव,
पिता– अकल साव
ग्राम+पोस्ट– बड़कीपुन्नु, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

O/C

प्रसंगः–
1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या Engine No.- CJ1354/KN013363, CH No.-MBNAJ48AJKTP29328 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2053 राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.....................   दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

मो० लेदन महतो,
वल्द– निर्मल महतो
सा०– बारीडारी
पोस्ट– तिरला बरिदारी, आई०ई० गोमिया, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

olc

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AM - 9988 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण है:–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2054 — राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850/138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

मो० दिलीप कुमार,
पिता– चतुर्भुज प्रसाद
ग्राम+पोस्ट– तिरला, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

OIC

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH 08 E - 9825 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या–26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरुप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t-1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2055 राँची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,
राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,
मो० राधेश्याम महतो,
पिता– युगल महतो
ग्राम+पोस्ट– तिरला, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

O/C

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02Z-0189 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2056 रॉंची, दिनांक 23/06/2025

प्रतिलिपिः— उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.....................   दिनांक...................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

श्री सुरेश प्रसाद
पिता– स्व० गोखुल साव
ग्राम+पोस्ट– तिरला, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

ole

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AF 8384 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण है:–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2057 रॉंची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
Jharkhand State Pollution Control Board
नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,
Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)
E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.....................   दिनांक...................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

मो० सहिद अंसारी,
पिता– मो० कबीन अंसारी
ग्राम+पोस्ट– कण्डेर, थाना– महुँआटाँड़,
जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या BR13C 0237 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण है:–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29/07/25 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2058 रॉंची, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः— उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फैक्स : 0651– 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक.................... दिनांक..................

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

सेवा में,

सिंकदर अंसारी,
वल्द– क्युम अंसारी
सा०– टिकाहारा, पो०– बड़कीपुन्नु
थाना– महुँआटाँड़, जिला– बोकारो

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 796, दिनांक 14.05.2024।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 96, दिनांक 27.01.2025।
4. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 73, दिनांक 14.02.2025।
5. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक – 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "News Wing" में प्रकाशित न्यूज आईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आम लोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक –239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AD-7573 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या – OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/(1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर अरपके विरूद्ध रूपये 13,320 /– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक..29/07/25. को ....11.00.. बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक..2059.　　　　राँची, दिनांक.23/07/2025

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक— 2321 राँची दिनांक— 14-08-2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री दुलार चन्द्र साव,
पिता—श्री परमेश्वर साव,
ग्राम—गंगापुर थाना—महुआटांड़
जिला—बोकारो।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या WB1/B2506 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

MITHILESH NARAYAN JHA

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= 4000/$(1+0.05)^1$+ 4000/$(1+0.05)^2$+4000$(1+0.05)^3$+4000/$(1+0.05)^4$+4000/$(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2321 रॉंची, दिनांक 14.08.2025
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2322 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री ऋतु साव,
पिता–मांगर साव,
ग्राम–बस्ती टोला, बड़कीपुन्नू,
जिला–बोकारो।

श्री शंकर किस्कु,
पिता–बाबूराम मांझी,
ग्राम–पुटकाडीह, थाना–महुआटांड,
जिला–बोकारो।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या MBNAJ48AFMTF से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी हैं, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26. 02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2322 रॉंची, दिनांक................

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2323 राँची दिनांक–14-08-2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री सुभाष कुमार सिंह,
पिता–जयनारायण सिंह
ग्राम–बड़की पोना, पारडीह, थाना–रजरप्पा
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02BG8371 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26. 02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11-30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2323 राँची, दिनांक................
प्रतिलिपि:—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2324 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

हनीफ अंसारी,
पिता–स्व0 लियाकत अंसारी,
ग्राम–हैसापोड़ा, थाना–गोला,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH01CQ7050 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2324 राँची, दिनांक................

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH SAHAY NOTARY RANCHI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2325 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

रामचरण मुर्मू
पिता–स्व0 बिरसा मांझी
ग्राम–हैसापोड़ा, थाना–गोला,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH05DB8721 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30 बजे पूर्वाहन में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2325 राँची, दिनांक................

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2326 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

अजय कुमार उर्फ अजय गुप्ता,
पिता–स्व0 महाबीर गुप्ता
ग्राम–पुटकाडीह थाना–महुआटांड
जिला–बोकारो।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या T0535531170CK से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या. –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26. 02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2326 राँची, दिनांक................
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI (Jharkhand)

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2327 राँची दिनांक– 14.8.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

जनक साव
पिता–चेतलाल साव
ग्राम–चितरपुर थाना–रजरप्पा,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH06N6203 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

MITHILESH NARAYAN JHA

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2327 राँची, दिनांक................
प्रतिलिपि:–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2328 राँची दिनांक–14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री महेन्द्र कुमार कस्यप,
पिता–जय कुमार महतो,
ग्राम+पोस्ट भरकुण्डा, थाना–पतरातु,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH01F-1685 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30...... बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक...2328. राँची, दिनांक...............

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

झारखण्ड
JSPCB

पत्रांक– 2329 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संतोष कुमार,
पिता–श्री शुलेन्द्र महतो,
ग्राम–नावाडीह, पो0 बड़कागांव, थाना–माण्डु,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AR-1613 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक...2329... राँची, दिनांक................
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2330 राँची दिनांक–14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री अनिल कुमार,
पिता–श्री रामेश्वर महतो,
ग्राम–नावाडीह, पो0 बड़कागांव, थाना–माण्डु,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटॉड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटॉड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर इंजन संख्या F.3254803 एवं JFNB02278 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26. 02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1+ 4000/(1+0.05)^2+4000(1+0.05)^3+4000/(1+0.05)^4+4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 26,640/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2330 राँची, दिनांक................

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rgo-
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH NARAYAN NOTARY RANCHI REG. NO. MAB 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2331 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री राजेश्वर तिवारी,
पिता–श्री देवकी नन्दन तिवारी,
ग्राम–तिवारी टोला छतर मान्डु, थाना–रामगढ़
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AT-9726 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरुपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29-08-2025 को 11:20 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2337 राँची, दिनांक.................
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2392 राँची दिनांक–14.8.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री राजु प्रजापति,
पिता–श्री केशर प्रजापति,
ग्राम– छतर मान्डु, थाना–रामगढ़
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटॉंड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटॉंड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH08F-3524 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 28.8.2025 को 11.30... बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक....2332 राँची, दिनांक................
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI Reg. No. 22/89 Jharkhand, India

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक— 2333 राँची दिनांक—14.8.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बख्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री शुभम कुमार,
पिता—श्री नकुल साव,
ग्राम—तेली टोला नियर जय भारत क्लब
बड़गाँव, थाना—रामगढ़, जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के गहुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AW-9773 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2333 राँची, दिनांक................
प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2834 राँची दिनांक– 14.08.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संतोष कुमार साहू,
पिता–स्व0 नागेन्द्र प्रसाद साहू,
ग्राम+पो0+थाना– बुन्डु,
जिला–राँची।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH01AW-2205 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/(1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.8.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2334   राँची, दिनांक................

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2335 राँची दिनांक–14.8.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संजय मुण्डा,
पिता–श्री भाकुर मुण्डा,
ग्राम–कुल्ही चौक पंचा, पो0–पोटमादागा,
थाना–गोला डी0भी0सी0 चौक, ओरमांझी,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AX-7639 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरुप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2335 रॉची, दिनांक 14.8.2025

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– 2336 राँची दिनांक– 14.8.2025

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद,
पिता–नारायण साव,
ग्राम+पो0–छतर मान्डु, थाना–रामगढ़
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH24H-4981 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 29.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नही आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2336 राँची, दिनांक 14.08.2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव